न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : (173/19) 405/2019

-:: वादी ::- बनाम -:: प्रतिवादी ::-

1. मांगुराम वल्द शोभाराम
कौम-जाट, साकिन-लाम्बियां,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
राज.।

1. तहसीलदार, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.27/08/2019

उपस्थित:-

1. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 26/12/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-लाम्बिया, पटवार हल्का-लाम्बिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-लाम्बिया तहसील-जैतारण में खसरा नंबर 559/2 रकबा 04-09 चाही प्रथम, खसरा नंबर 575/1 रकबा 02-16 चाही प्रथम, खसरा नंबर 1420/16 रकबा 04 बीघा किस्म-बारानी अव्वल, अन्य खसरा नंबर 41/5 रकबा 05-03 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 89 रकबा 09-06 बीघा किस्म बारानी दोयम जो ग्राम-गांगलिया, पटवार हल्का-लाम्बिया में स्थित है, वादी का मौके पर कब्जा काश्त है, वादी के पिता शोभाराम पुत्र हणुतराम के देहान्त के बाद म्युटेशन न. 250 दिनांक 09.05.1994 को भरा गया, जिसमें मांगीलाल पुत्र शोभाराम दर्ज किया, जो गलत है उसे निरस्त करके उसके स्थान पर संशोधन कर मांगुराम पुत्र शोभाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु घोषणात्मक दावा पेश है। व एम.एन.ओ. 1556 ग्राम-लाम्बिया बदस्तुर कायम रखे। बिनाय दावा दिनांक 15.05.2019 को वादी जब जमाबन्दी की नकलें प्राप्त कर किसान केडिट कार्ड बनाने के लिए गया तो राजस्व रेकर्ड में मांगीलाल पुत्र शोभाराम व अन्य दस्तावेजात ई.पी.आई.सी., राशन कार्ड, यू.आई.ओ., में मांगुराम पुत्र शोभा राम दर्ज है जो सही है अतः बमुकाम लाम्बिया में नाम विभेद के कारण उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी राज. सरकार के नुमाइन्दे हैं वाद पेश करने से पूर्व 80(2) सीपीसी का नोटिस देना आवश्यक है। बिना नोटिस दिये ही पक्षकार बनाया है अनुमति हेतु 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र दावे के साथ पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण की ओर से जवाबदावा पेश हुआ, जो सामिल मिसल हैं।

प्रतिवादी, तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाबदावे में व्यक्त किया कि सरहद मौजा लाम्बिया के खसरा नंबर 559/2, 575/1 व 1420/16 मांगीलाल

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

पुत्र शोभाराम जाति-जाट ग्राम-गांगलिया, खसरा नंबर 41/5 व 89 में भी मांगीलाल पुत्र शोभाराम जाति-जाट के नाम से खातेदारी भूमि है। वादी को गांव में दो नाम से मांगीलाल व मांगुराम पुकारने से वादी के पिता की मृत्यु पश्चात मांगीलाल दर्ज किया गया है। सही नाम मांगुराम करना उचित है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः गांगलिया, पटवार हल्का-लांबिया, तहसील-जैतारण की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खसरा संख्या 41/5 एवं 89 एवं ग्राम लांबिया की जमाबंदी संवत 2073-2076 के खसरा नंबर 559/2, 575/1 एवं 1420/16 से स्पष्ट है कि मांगीलाल पुत्र शोभाराम कौम-जाट बतौर खातेदार दर्ज है। ग्राम-लांबिया की जमाबंदी संवत 2049-2052 में आसु, मांगु, बालू, अमरा, मुला पि. शोभा, कौम जाट दर्ज है। वादी के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान-पत्र, आधार-कार्ड, एवं पेन कार्ड में मांगुराम पुत्र शोभाराम दर्ज है। भू.अ. निरीक्षक-लाम्बिया एवं तहसीलदार-जैतारण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं जवाबदावा से स्पष्ट है कि मांगीलाल एवं मांगुराम दोनों एक ही व्यक्ति है तथा जो कि शोभाराम का पुत्र है। विरासत से नामांतकरण के दौरान मांगुराम के स्थान पर मांगीलाल दर्ज हो गया है, जबकि सही नाम मांगुराम है। अतः हम वाद-वादी स्वीकार करना विधिक रूप से उचित मानते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-वादी अंतर्गत धारा-88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादी मांगुराम वल्द शोभाराम, कौम-जाट, निवासी-लाम्बिया, तहसील-जैतारण को तहसील-जैतारण के पटवार हल्का-लाम्बिया के राजस्व ग्राम-गांगलिया के खसरा संख्या 41/5, रकबा 05-03 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 89 रकबा 09-06 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं ग्राम-लाम्बिया के खसरा संख्या 559/2 रकबा 04-09 किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 575/1 रकबा 02-16 किस्म चाही प्रथम एवं खसरा संख्या 1420/16 रकबा 04-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल में गलत प्रविष्टि मांगीलाल पुत्र शोभाराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करें। इसी कदर पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला-पाली)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

निर्णय आज दिनॉक 26/12/2019 को ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत :- सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री डॉ भास्कर विश्नोई , आर0ए0एस0

-:: वादी ::- बनाम -:: प्रतिवादी ::-

2. मांगुराम वल्द शोभाराम
कौम-जाट, साकिन-लाम्बियां,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
राज.।

2. तहसीलदार, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 मु0न0 :रा0वा0 स0: (173/19) 405/2019
92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार, जैतारण, प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद-वादी अंतर्गत धारा-88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादी मांगुराम वल्द शोभाराम, कौम-जाट, निवासी-लाम्बिया, तहसील-जैतारण को तहसील-जैतारण के पटवार हल्का-लाम्बिया के राजस्व ग्राम-गांगलिया के खसरा संख्या 41/5, रकबा 05-03 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 89 रकबा 09-06 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं ग्राम-लाम्बिया के खसरा संख्या 559/2 रकबा 04-09 किस्म चाही प्रथम, खसरा संख्या 575/1 रकबा 02-16 किस्म चाही प्रथम एवं खसरा संख्या 1420/16 रकबा 04-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल में गलत प्रविष्टि मांगीलाल पुत्र शोभाराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/12/2019 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला-पाली)

मोहर

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	06	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.31 16:34:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: